सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

दिनांक :28.03.2025

To,

1. **उपायुक्त,**
   जिला - रांची,
   कचहरी चौक ब्लॉक- बी,
   कमरा नंबर-504,
   राँची-834001, झारखण्ड
   ई:मेल- dc-ran@nic.in

2. **पुलिस अधीक्षक,**
   जिला –रांची
   कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
   झारखंड पुलिस,
   रांची, झारखंड 834001
   Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

3. **प्रशासक,**
   रांची नगर निगम,
   कचहरी रोड,
   राँची-834001, झारखण्ड
   ई:मेल- support@ranchimunicpal.com

विषय: भू माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम – हरमू, टोंगरी टोली ,जतरा मैदान के पास, थाना – अरगोड़ा, वार्ड सं-.26, जिला – रांची, झारखण्ड दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि

श्री संदीप उराँव,
ग्राम – हरमू, टोंगरी टोली,
जतरा मैदान के पास, थाना – अरगोड़ा, वार्ड सं-.26,
जिला – रांची, झारखण्ड-834002
फोन नं .6203640664

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

भू-माफियाओं द्वारा शिकायतकर्ता की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम-हरमू टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा, वार्ड सं.-26, जिला-रांची, झारखण्ड की शिकायत में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 31.01.2025 को हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	28.02.2025 को 03:20 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

मामले में श्री संदीप उराँव से आयोग को शिकायत प्राप्त हुई जिसमे उन्होंने बताया कि उनकी पुश्तैनी भूमि हरमू मौजा में स्थित है, जिसका खाता नंबर 13/4 और प्लॉट नंबर 312 है। यह भूमि जनजातीय धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और संदीप 2019 तक यहाँ शांति से खेती कर रहे थे। वर्तमान में, इस भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिसे रोकने के लिए संदीप ने 2020 और 2021 में नगर निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संदीप के पिता की हत्या भी इसी भूमि के विवाद में 2000 में की गई थी। संदीप के रिश्तेदार शिव राम तिर्की ने भी इस समस्या को लेकर नगर निगम को आवेदन दिया था, और अदालत में सुनवाई भी हुई थी। संदीप ने नगर निगम से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें केवल अभद्र व्यवहार और निराशा मिली। अब संदीप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, और वह अपनी पुश्तैनी भूमि को बेचने के लिए विवश हैं। उन्होंने प्रशासन से न्याय की अपील की है और अपनी भूमि को वापस पाने में मदद की मांग की है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त, जिला रांची एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रांची, झारखंड को नोटिस दिनांक 24.04.2023 भेजा गया।

3. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में संतोषजनक उत्तर या रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण, दिनांक 04.10.2024 को आयोग द्वारा सिटिंग/सुनवाई आयोजित की गई। तदनुसार, संबंधित प्राधिकारियों को सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत प्रेषित किया गया, परंतु इसके प्रत्युत्तर में आयोग को कोई कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा दिनांक 31.01.2025 को पुनः सिटिंग/सुनवाई आयोजित की गई। इसके उपरांत भी, संबंधित प्राधिकारियों को कार्यवृत प्रेषित किए जाने के बावजूद आयोग को कोई संतोषजनक कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मामले में पुनः सिटिंग/सुनवाई दिनांक 28.02.2025 को निर्धारित की गई है।

4. सुनवाई के दौरान, जिलाधिकारी, जिला रांची की ओर से सहायक कलेक्टर तथा प्रशासक, रांची नगर निगम की ओर से अतिरिक्त नगर आयुक्त आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। वहीं, पुलिस अधीक्षक, जिला रांची अनुपस्थित रहे,

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

जबकि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई। सुनवाई के दौरान, प्रशासक, रांची नगर निगम की ओर से उपस्थित अतिरिक्त नगर आयुक्त ने आयोग को अवगत कराया कि मामले में नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा अनुशंसा की जाती है कि:-

I. मामले में रांची नगर निगम से जिन संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई थी, वे सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। उन्हें शीघ्र आयोग को उपलब्ध कराया जाए । इसमें विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाए कि नगर निगम द्वारा विवादित भूमि पर किन दस्तावेजों के आधार पर नक्शा स्वीकृत किया गया और इस प्रक्रिया में कौन-कौन से मानक व प्रक्रियाएँ अपनाई गईं।

II. मामले में अब तक की गई सभी संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाये।

आशा लकड़ा
19/03/2025

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Memb
भारत सरकार/Governm of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जन आयोग
National Commission for S Tribes
नई दिल्ली/New De

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **28.02.2025 at 03:20 P.M** - भू आवेदक की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के माफियाओं द्वारा संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम – हरमू, टोंगरी टोली ,जतरा मैदान के पास, थाना – अरगोड़ा, वार्ड सं-.26, जिला – रांची, झारखण्ड दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Joint Secretary		
3.	Shri Rahul Investigator		
3.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
4.	Shubhodip R. Toran		[signature]
5.			
6.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi**		
1.	Ram narayan singh A.C. Ranchi.		[signature] 28.2.25
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Superintendent of Police, Ranchi**		
1.			
2.			
3			
IV	**Officers from O/o Administrator, Ranchi Municipal Corporation**		
1.	SANJAY KUMAR Additional Municipal Commissioner		[signature] 28/2/25
2.			
V	**Petitioners**		
1.			
2.			